न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

गन्नी खाँ .... बनाम .... गोमाराम

किस्म मुकदमा .... 223 .... मु. नं0 .... 99 .... वर्ष 2017

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20-11-17	अपील दर्ज रजिस्टर की गई । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अदालत मातहत में अपीलान्ट ने जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया जिसकी नकल वकील वादी को दी गई । इसके बाद प्रकरण में तारीख पेशी जबाब काउण्टर दावा में चलती रही प्रकरण में अपीलान्ट को अदालत मातहत में आगामी तारीख पेशी दिनांक 14-6-2017 बताई जो प्रकरण में दर्ज है । इसके बाद अदालत मातहत ने बिना अपीलान्ट को सूचना दिये बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये वादी के प्रार्थना पत्र पर कैम्प किरडोली में रखकर नियत तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 30-5-17 को आदेश पारित कर दिया । जबकि कैम्प में पत्रावली को रखे जाने की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुने आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है । अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अदालत मातहत के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे । बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 3-5-2017 में आगामी पेशी मोहर लगाकर दिनांक 14-6-2017 नियत की गई । इस नियत पेशी से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस जारी किया जाना पत्रावली पर साबित नहीं है । अर्थात अपीलान्ट को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत का अवसर दिये आदेश पारित किया है जिसमें काउण्टर क्लेम का जबाब तक नहीं आया । ऐसी स्थिति में हम इसी स्तर पर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	को अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं । अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर(द्वितीय) सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-5-2017 को खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को सही निर्देश प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में काउण्टर क्लेम का जबाब प्राप्त कर उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 27-12-2017 को उपस्थित होवें ।पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय सुनाया गया । 20/11/17 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी	